न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री समदर सिंह भाटी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 155/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खरथाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी		1 लालाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी 2. शाखा प्रबन्धक, S-B-I- सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पाबूराम बेनीवाल वकील विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से उपस्थित।
4. शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 20.11.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 6.2536 ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 का खेत खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.3264 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार कादानाडी भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी स.1 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को असुविधा का सामना करना पड़ता है,और इस हेतु प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 का पूर्व में मूल खसरा संख्या 71 संयुक्त खातेदारी का खेत था तथा मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खसरा मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा होने से प्रार्थी को भी आवागमन हेतु मूल खसरे के विभाजन के दौरान रास्ता रखा था लेकिन रास्ते की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज न होकर विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो गयी थी, जिससे रास्ते की भूमि का विप्रार्थी की अपनी खातेदारी में दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थी को उक्त रास्ते के आवागमन को बंद कर दिया है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 71/1 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से तथा पूर्ववत पक्षकारान के सामलाती मूल खसरा की भूमि होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाये जाने से प्रकरण में दुबारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 6.2536 ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 का खेत खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.3264 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। चूंकि प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 का पूर्व में मूल खसरा संख्या 71 संयुक्त खातेदारी का खेत था तथा मूल खसरा मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा होने से प्रार्थी को भी आवागमन हेतु मूल खसरे के विभाजन के दौरान रास्ता रखा था लेकिन रास्ते की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज न होकर विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो गयी थी, जिससे रास्ते की भूमि का विप्रार्थी की अपनी खातेदारी में दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर उक्त रास्ते के आवागमन को बंद कर दिया है। अतः प्रार्थी ने ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 71/1 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से तथा पूर्ववत पक्षकारान के सामलाती मूल खसरा की भूमि होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रास्ते के संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

विप्रार्थी सं. 1 के वकील ने अपनी बहस के तथ्यों में कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रस्तावित स्थल के नजदीक ही प्रार्थी के आवागमन हेतु ग्राम दरगुड़ा के खेत खसरा संख्या 80/1 में सड़क मार्ग तक लगता हुआ निकटतम रास्ता उपलब्ध है, जो सही होने से मौका रिपोर्ट नये सिरे से पुनः तलब की जावे।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिणधरी मय पटवारी हल्का द्वारा अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी पूर्व में मूल खसरा संख्या 71 के सहखातेदार रहते हुए विभाजन के जरिये अलग–अलग कायम हुए है, मूल खेत खसरा संख्या कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है, परन्तु अब विभाजन के बाद प्रार्थी को आवागमन हेतु कटाण मार्ग तक रास्ता अनुपलब्ध है।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 6.2536 ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 का खेत खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.3264 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी भूमि आया हुआ है। जहां तक प्रार्थी की दलील अनुसार प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 का पूर्व में मूल खसरा संख्या 71 संयुक्त खातेदारी का खेत था तथा मूल खसरा मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा होने से प्रार्थी को भी आवागमन हेतु मूल खसरे के विभाजन के दौरान रास्ता रखा था लेकिन रास्ते की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज न होकर विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो गयी थी, जिससे रास्ते की भूमि का विप्रार्थी की अपनी खातेदारी में दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थी को उक्त रास्ते के आवागमन को बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ठ–अ एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शा के अद्यतन में पाया गया कि तत्समय पक्षकारान की संयुक्त सामलाती के मूल खेत खसरा संख्या 71 जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा पक्षकारान के मध्य विभाजन [illegible] की गई तरमीम के अवलोकन एवं अद्यतन से प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग पूर्व में किसी पगडंडी के [रूप] में खसरा संख्या 71 के समानान्तर लम्बवत रूप से सड़क मार्ग को आगे जोड़ते हुए की गई हो। जहां तक विप्रार्थी सं. 1 की आपत्ति एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अद्यतन एवं पैरोकार सरकार की दलील से प्रथम दृष्टया यह प्रतिपादित है कि जब समस्त पक्षकार (प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Samundar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विप्रार्थीगण) एक ही खसरे से विभक्त होकर अलग हुए तथा तत्समय उक्त खेत खसरा संख्या 71 कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ होने के वावजूद भी प्रत्येक थौक द्वारा कटाण मार्ग की उपलब्धता को अपने सदुपयोग के रूप में स्थापित नहीं किया गया। चूंकि विप्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी के नक्शे में खसरा संख्या 71 के लगते हुए भू–भाग का उपयोग किसी पगड़डी के रूप में उपयोग में लिये जाने अथवा उसके रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं लिये जाने के सन्दर्भ में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की यह स्पष्ट करने में विफल रहे है कि तत्समय मूल खेत खसरा संख्या 71 सड़क मार्ग से जुड़ा होने के बावजूद भे अन्य पक्षकारान को आवागमन हेतु सड़क मार्ग से वंचित रखा गया अथवा तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भू–भाग का उपयोग सदैव रास्ते के रूप में पक्षकारान द्वारा किया जाता रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह सावित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 71/1 ही एकमात्र वैकल्पिक है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और प्रार्थीगण विधिक रूप से पैत्क खातेदारी के सड़क मार्ग से जुड़े मूल खसरा संख्या 71 से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरा संख्या 71/1 में से रास्ता पाने के हकदार है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः तलव करने मौका रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी के खसरा संख्या 71/1 में लम्वाई 392 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित प्रथम मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में वरंग हरा कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उक्त परिमाप अनुसार भुगतान योग्य राशि 160000/– विप्रार्थी संख्या 01 को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु वैंकर्स चैक प्राप्ति के प्रस्तावित रकवानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2025/3384 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा प्रेपित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:33 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी